



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

## 02 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-01.08.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में थाना बिसवा पुलिस द्वारा चोरी/नकबजनी जैसे अपराध में लिप्त 02 अभियुक्तों 1.मुन्ना पुत्र बाहिद निवासी क्योटिबादुल्ला थाना कोतवाली बिसवा जिला सीतापुर 2.शाहिद उर्फ फक्कड़ पुत्र साबिर निवासी ग्राम बुढनापुर थाना कोतवाली बिसवा जिला सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना बिसवां पर मु0अ0सं0 352/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। दोनो अभियुक्त वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। संलिप्त अभियुक्तगण की अपराध से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही अलग से की जाएगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 352/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना बिसवां जनपद सीतापुर।

### अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. मुन्ना पुत्र बाहिद निवासी क्योटिबादुल्ला थाना कोतवाली बिसवा जिला सीतापुर
2. शाहिद उर्फ फक्कड़ पुत्र साबिर निवासी ग्राम बुढनापुर थाना कोतवाली बिसवा जिला सीतापुर

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुन्ना -

- 1.मु0अ0सं01358/10 धारा 8/21 NDPS ACT. थाना बिसवाँ जनपद सीतापुर
- 2.मु0अ0सं0 965/10 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसवाँ जनपद सीतापुर
- 3.मु0अ0सं0 294/22 धारा 379/411 भादवि थाना बिसवाँ जनपद सीतापुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाहिद उर्फ फक्कड़

- 1..मु0अ0सं0 132/17 धारा 41/411/413/414/420 भादवि थाना बिसवॉ सीतापुर
- 2.मु0अ0सं0 280/17 धारा 2/3 यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना बिसवॉ सीतापुर
- 3.मु0अ0सं0 430/21 धारा 411/413/420 भादवि थाना बिसवॉ सीतापुर
- 4.मु0अ0सं0 431/21 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट थाना बिसवॉ सीतापुर
- 5.मु0अ0सं0 294/22 धारा 379/411 भादवि थाना बिसवॉ जनपद सीतापुर